

11.9.19


पत्रावली पेश। वकील पत्रकार उपस्थित है।
दूधवाड मिठे . 47/18 नॉ पूर्व वाड मिठे
164/17 के साथ कंसोली डेट / कलवड किमा
किया गया।

बदल जाठ फर विडान अधिवक्ता
उभय पक्ष बुनी गई।

अप्राप्तिगत विचारित इमि
के रिफाईड सहवालेदार है। बिलाना
अभिलिखित सहवालेदार के फुल
किसी अन्य को अस्थाई आदेश
दिया जाना उचित नहीं है।

जामी के पक्ष में प्रथम डल्लपा
उकाला नहीं है, आटे न ही जामी
के पक्ष में सुविधा का संकलन ही
पाया जाता है।

जामी को किसी प्रकार की
सहायता लेना ही उकाल नहीं है।
बला है।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए
	<p>उक्तों के सुनावणों पर लम्बे विचार किया गया खर्चों का खर्चों पर धारा 212 की शर्त-अय पर खर्चों मंगी डालता है। अतः उक्त पर खर्चों खर्चों किया जाता है। फावली फौज सुनार की जाकर इन्वॉइस नं० 57/18 के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: right;">  (निमनलाल मीना) R.A.S. </p>	